भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 52

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए नीतियां

52. श्री खगेन मुर्मु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): इस्पात के एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का ध्येय इस्पात उत्पादों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस्पात उत्पादन में "आत्म निर्भरता" प्राप्त करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए, कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
2. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
3. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।

4. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

5. 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

6. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

7. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

8. इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

****